

**फर्द अहकाम**



रामसिंह

बनाम रोहित रावत फर्द

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) शाहपुर - जयपुर

ख्या 18/2024

उपरोक्त अस्थाई निषेधाज्ञा T-I-2/2

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
5/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वहील उक्त पत्र उपस्थित। वहील उक्त पत्र ही जर्जन-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर अक्षर लगी गई। वास्ते आदेशार्थ पत्रावली आदेश रिपोर्ट 15/4/24 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">                       सहायक कलक्टर                      शाहपुर (जिला-जयपुर) राज.                 </p>	
15/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वहील उक्त पत्र उपस्थित। वहील उक्त पत्र ही अक्षर पर मक डिमा। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजस्व रिपोर्टों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी (पत्र) नंबर 1835/1135 रकबा 0.24 हेक्टर मकीन राजस्व ग्राहक खिदादा तहसील शाहपुर का जमीन रिपोर्टों को देना कार्रवाई नहीं है। इसलिए उक्त दस्तावेजों में जमीन के पक्ष में साबित होकर नहीं पाया गया। रिपोर्टों को देना कार्रवाई नहीं है। उक्त कारणों के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा को खत्म करने में सफल नहीं रहा है। अतः न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा 27/4/2024 को निरस्त किया जाकर उक्त जर्जन-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुभ होकर फर्ज नंबर से उक्त है व मूल जर्जन आदेश 9 रिपोर्ट 13 के अतिरिक्त है।</p> <p style="text-align: right;">                       सहायक कलक्टर                      शाहपुर (जिला-जयपुर) राज.                 </p>	